**विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),**

**कानपुर मण्डल, कानपुर ।**

**परिवाद संख्या - 40/2021**

**इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,**
**विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)**

**------- परिवादी /आवेदक**

**बनाम**

**अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.)**
**झींझक, कानपुर देहात ।**

**-------विपक्षी**

**अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)**
**(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)**

**निर्णय**

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 21.10.2021 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, झींझक, कानपुर देहात (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने संयोजन सं. 781726699511 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मुख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया हैः-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन किया जाये ।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाये ।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाये ।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे ।

इण्डस टावर लि. डेरापुर, जलीहापुर, कानपुर संयोजन सं. 781726699511 स्वीकृत भार 22.222 KW का Previous Arrear और Previous Surcharge रु. 22,27,461/- था ।

आगे जारी है ।

विपक्षी ने जवाबदावा (का.सं. 3/1 ता 3/3) दाखिल किया है। धारा 1 के कथन विवादित नहीं है। धारा 2 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में टेली कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट से जारी फर्म /परिवादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कोई प्रतिलिपि पत्रावली प्रस्तुत नहीं की है। जिसके कारण परिवादी का कथन पूर्णतया गलत है तथा इस आधार पर ही परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। धारा 3 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं उसमें कहना है कि कथन 3 विधिक प्रावधानों के सम्बन्धित हैं जिसमें कोई अतिरिक्त कथन करने की अवश्यकता नहीं है। धारा 4 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं स्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा अपने नाम से विद्युत संयोजन वाणिज्यिक विधा में दिनांक 12.02.2009 को स्वीकृत भार 22.22 के.वी.ए. का संयोजन खाता संख्या 7817265699511 विपक्षीय /प्रतिवादी द्वारा विभाग से प्राप्त किया है। धारा 5 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को मीटर्ड यूनिट एवं उपभोग रीडिंग के आधार पर बिल उपलब्ध कराये गये है। धारा 6 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा माह दर माह के बिलों का भुगतान न होने के कारण उस पर बकाया धनराशि बढ़ जाती है तथा बकाया धनराशि पर लेट पेमेन्ट सरचार्ज उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के देय नियमों के अनुसार लगाया जाता है। परिवादी के द्वारा कभी पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है और न ही समय पर। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि परिवादी द्वारा यदि विद्युत का उपभोग स्वयं नहीं किया जाता है अथवा बकाया विद्युत बिल पर संयोजन विच्छेदित होने की स्थिति में भुगतान न करने के कारण विद्युत का उपयोग करने में असमर्थ है। उस परिस्थित में भी परिवादी द्वारा न्यूनतम विद्युत बिलों का भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं की है। परिवादी का संयोजन फरवरी 2019 में विद्युत बकाये की धनराशि रु. 22,52,227/- पर विच्छेदित किया गया है। सम्बन्धित संयोजन के लेजर की छायाप्रति संलग्न है। धारा 7 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं उसमें कहना है कि कथन 7 विधिक प्रावधानों के सम्बन्धित है जिसमें कोई अतिरिक्त कथन करने की अवश्यकता नहीं है। धारा 8 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं असत्य व अस्वीकार हैं। प्रतिवादी को माह दर माह के बिल जारी किए गये हैं जिसमें बिलों का भुगतान प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है उस माह की बिल धनराशि का अगले माह के बिल में मय लेट पेमेन्ट सरचार्ज सहित जुड़कर अगले माह के बिल में प्रदर्शित होती है। जिसके कारण परिवादी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के परन्तुक का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। धारा 9 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी की विद्युत सप्लाई 18 घण्टे अथवा ज्यादा घण्टों की है। जिसके कारण उसका बिल शहरी फीडर की सप्लाई के अनुसार बनाया जाता है जोकि सही है। धारा 10 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा मीटर खराब होने से सम्बन्धित कोई भी शिकायत पत्र परिवादी अथवा उसके प्रतिनिधि के द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही परिवादी के द्वारा कोई प्रलेख अथवा प्रतिलिपि उक्त कथन के समर्थन में परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत की है। जिसके कारण परिवादी का कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी यदि अपना मीटर चेक कराना अथवा बदलवाना चाहता था तो उसको मीटर चेकिंग शुल्क अथवा मीटर का निर्धारित शुल्क जमा कर बदलवाने का अधिकार प्राप्त था। धारा 11 के कथन जिस प्रकार से

उल्लेखित किए गये हैं उसमें कहना है कि कथन 11 विधिक प्रावधानो के सम्बन्धित है जिसमें कोई अतिरिक्त कथन करने की अवश्यकता नहीं है। धारा 12 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं उसमें कहना है कि कथन 12 विधिक प्रावधानो के सम्बन्धित है जिसमें कोई अतिरिक्त कथन करने की अवश्यकता नहीं है। शेष कथन असत्य व अस्वीकार हैं परिवादी को बिल सही मीटर के आधार पर जारी किये गये है। धारा 13 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं उसमें कहना है कि कथन 13 विधिक प्रावधानों के सम्बन्धित है जिसमें कोई अतिरिक्त कथन करने की अवश्यकता नहीं है। शेष कथन असत्य व अस्वीकार हैं परिवादी को बिल सही मीटर के आधार पर जारी किये जाते हैं। किन्तु फिर भी यदि कोई बिल परिवादी को त्रुटिपूर्ण लगता है तो वह अपना विवादित बिल को उ.प्र. विद्युत सप्लाई कोड 2005 के तहत सुधार हेतु मय प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु फिर भी संशोधित बिल गलत लगता है तो वह अन्तर्गत विरोध विवादित धनराशि को जमा कर पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग परिवादी के द्वारा कभी नहीं किया गया तथा परिवाद सीधे मा. फोरम में प्रस्तुत कर दिया गया है। धारा 14 के कथन जिस प्रकार से उल्लेखित किए गये हैं उसमें कहना है कि कथन 14 विधिक प्रावधानों के सम्बन्धित है जिसमें कोई अतिरिक्त कथन करने की अवश्यकता नहीं है। शेष कथन असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी को पूर्ण अधिकार है अपने कथनो को कहने का तथा समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुये समस्त उपभोगताओं के लिये एक सी कार्यवाही विपक्षी के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा की जाती है। परिवादी द्वारा उपरोक्त परिवाद झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर किया गया है।

## निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाह को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, झींझक, कानपुर देहात के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम त्रिपाठी तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

(1) परिवादी के द्वारा अपने नाम से विद्युत संयोजन वाणिज्यिक विधा में दिनांक 12.02.2009 को स्वीकृत भार 22.22 के.वी.ए. का संयोजन खाता संख्या 7817265699511 विपक्षीय /प्रतिवादी द्वारा विभाग से प्राप्त किया है। परिवादी को मीटर्ड यूनिट एवं उपभोग रीडिंग के आधार पर बिल उपलब्ध कराये गये है। परिवादी के द्वारा माह दर माह के बिलों का भुगतान न होने के कारण उस पर बकाया धनराशि बढ़ जाती है तथा बकाया धनराशि पर लेट पेमेन्ट सरचार्ज उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के देय नियमों के अनुसार लगाया जाता है। परिवादी का संयोजन फरवरी 2019 में विद्युत बकाये की धनराशि रु. 22,52,227/- पर विच्छेदित किया गया है। प्रतिवादी को माह दर माह के बिल जारी किए गये हैं जिसमें बिलों का भुगतान प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है उस माह की बिल धनराशि का अगले माह के बिल में मय लेट पेमेन्ट सरचार्ज सहित जुड़कर अगले माह के बिल में प्रदर्शित होती है।

आगे जारी है।



परिवादी की विद्युत सप्लाई 18 घण्टे अथवा ज्यादा घण्टों की है। जिसके कारण उसका बिल शहरी फीडर की सप्लाई के अनुसार बनाया जाता है जोकि सही है। परिवादी के द्वारा मीटर खराब होने से सम्बन्धित कोई भी शिकायत पत्र परिवादी अथवा उसके प्रतिनिधि के द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही परिवादी के द्वारा कोई प्रलेख अथवा प्रतिलिपि उक्त कथन के समर्थन में परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत की है। परिवादी यदि अपना मीटर चेक कराना अथवा बदलवाना चाहता था तो उसको मीटर चेकिंग शुल्क अथवा मीटर का निर्धारित शुल्क जमा कर बदलवाने का अधिकार प्राप्त था।

परिवादी द्वारा संशोधित पी. डी. बिल (का. सं. 6/1-6/2) दाखिल किया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियो में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद आंशिक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का परिवाद निस्तारित किया जाता है और विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि संशोधित बिल रू. 7,43,436/- परिवादी को उपलब्ध करायें एवं विभागीय नियमानुसार उसकी वसूली सुनिश्चित करायें। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें। विपक्षी अनुपालन आख्या 30 दिवस के अन्दर फोरम को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 23/11/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 23/11/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति